

Abolition of Death Sentence

2752. SHRI P. M. SAYEED :
SHRI OM PRAKASH TYAGI ;
SHRI J. SUNDAR LAL ;
SHRI NARAIN SWARUP
SHARMA :
SHRI RAM SWARUP
VIDYARTHI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made by certain people in the country for abolition of death sentence ;

(b) whether it is also a fact that in many countries death sentence has been abolished ;

(c) if so, the names of those countries and the impact on the incidence of murder cases in those countries as a result thereof ;

(d) whether Government propose to abolish death sentence ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). So far as Government of India are aware, death sentence has been abolished in Belgium, Denmark, Finland, Holland, Iceland, Italy, Luxemburg, Norway, Portugal, Rumania, Sweden, Switzerland and West Germany. In United Kingdom death penalty was suspended in 1965 for five years. In the U. S. A., six States have no capital punishment. No authentic information is available of the impact of this measure on the incidence of murder cases in those countries.

(d) and (e). The Law Commission have given mature consideration to the question of abolition of capital punishment and submitted their recommendations in their Thirty-fifth Report. The Report is still under print. The recommendations of the Law Commission on the question of abolition of death sentence would have to be examined by the Government of India in consultation with the State Governments, before any final view is taken.

उपूसी में चीन समर्थक तत्वों की गिरफ्तारी

2753. श्री आ० सुन्दर लाल :
श्री श्री प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री 28 मार्च, 1969 के प्रतारांकित प्रश्न संख्या 4554 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपूसी में चीन समर्थक व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस जांच के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) जांच के पूरा होने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) : नेफा प्रशासन द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार तीन व्यक्ति चीनी जासूस पाये गये। उन पर निरोध प्रादेश तामील किये गये हैं। तीन अन्य व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

अंग्रेजी को जारी रखने की समय-सीमा

2754 श्री बाल्मोकी चौधरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी भाषा अधिनियम में हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी को सरकारी भाषा के रूप में जारी रखने के निहित उपबन्ध के सम्बन्ध में अहिन्दी भाषी गज्यों से परामर्श करके कोई समय-सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है ताकि उस तिथि के बाद अंग्रेजी के प्रयोग को पूर्णतः ससप्त किया जा सके और सरकारी कामकाज भारतीय भाषाओं में हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है